

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 07(07)राज/वाद/12 पार्ट-बी

जयपुर दिनांक 16/05/2024

:: आदेश ::

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारीगण की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क.सं.	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष
1.	श्री रामनिवास आचार्य	07.09.66	ओ.बी.सी.	2019-20
2.	श्री मनीष कुमार बेनीवाल	01.07.92	अ.जा.	2022-23
3.	श्रीमती सुनिता पल्लीवाल	24.08.64	सामान्य	2022-23
4.	श्री जाकिर हुसैन	29.07.93	सामान्य	2022-23
5.	श्री चतर सिंह	02.07.93	ओ.बी.सी.	2022-23
6.	श्री दीपेन्द्र सांवल	02.07.85	अ.जा.	2022-23
7.	श्री दिलीप सिंह	18.02.89	सामान्य	2022-23
8.	श्री विजय सिंह	15.07.66	अ.जा.	2022-23
9.	श्री राजेश कुमार	21.07.74	अ.जा.	2022-23
10.	श्री रामस्वरूप गुर्जर	02.07.72	ओबीसी	2022-23
11.	श्री घनश्याम चंदेल	20.07.75	अ.जा.	2022-23
12.	श्री विकास पारीक	28.08.77	सामान्य	2022-23
13.	श्री उस्मान खॉ	05.06.82	सामान्य	2022-23
14.	श्रीमती तुलसी देवी	17.05.72	सामान्य	2022-23
15.	श्रीमती अरुणा अरविन्द	21.11.84	सामान्य	2022-23
16.	श्रीमती कमला देवी	01.08.66	सामान्य	2022-23
17.	श्री सन्दीप शर्मा	07.07.86	सामान्य	2022-23
18.	श्री राजेश महावर	23.05.85	अ.जा.	2023-24
19.	श्रीमती सुमन कंवर	05.04.78	सामान्य	2023-24
20.	श्री भानी सिंह	19.03.94	सामान्य	2023-24
21.	श्री बलविन्द्र सिंह	06.06.92	ओ.बी.सी.	2023-24
22.	श्री अमित कुमार	20.07.81	अ.जा.	2023-24
23.	श्रीमती बबीता विश्णोई	02.09.87	ओ.बी.सी.	2023-24
24.	श्रीमती सुमन	11.12.80	ओ.बी.सी.	2023-24
25.	श्री नरेश कुमार	05.07.95	ओ.बी.सी.	2023-24
26.	श्री प्रदीप कुमार	19.02.93	सामान्य	2023-24
27.	श्री भूपेन्द्र सिंह	05.05.94	एस.बी.सी.	2023-24
28.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	22.09.70	सामान्य	2023-24


- उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियाँ मय आधार के अपने कार्यालय के माध्यम से विभागीय वेबसाईट (secretarylaw

@rajasthan.gov.in) पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि तक अभ्यावेदन/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

हं
(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण)।
2. संबंधित कार्यालय/संबंधित कर्मचारी।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव